न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 59 / 2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
अन्द्रपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी जाति स्वामी निवासी खेडापुरिया, तहसील बागोडा जिला जालोर		1 भूरपुरी पुत्र तथाकथित लक्ष्मणपुरी जाति स्वामी निवासी खेडापुरिया, तहसील बागोडा जिला जालोर 2 संतोषी पुत्री लक्ष्मणपुरी पत्नि अमरगिरी जाति स्वामी निवासी पांचला तहसील सांचोर 3 लक्ष्मणपुरी पुत्र उमपुरी 4 डुंगरपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी 5 पूरणपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी 6 जालमपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी जाति स्वामी निवासी खेडापुरिया, तहसील बागोडा जिला जालोर 7 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बागोडा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री पारसमल वराडा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.12.17

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 61/2011 भूरपुरी बनाम लक्ष्मणपुरी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर मौजा खेडापुरिया के खसरा नम्बर 29 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 31 रकबा 11.01 हैक्टेयर की भूमि अपने दादा उमपुरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की बताते हुए अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अनुतोष चाहा। जबकि उपरोक्त वादस्थ भूमि उमपुरी की न होकर लक्ष्मणपुरी की स्वअर्जित सम्पति थी। जिसे लक्ष्मणपुरी द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 को बख्शीश कर दिया, उक्त बख्शीशनामा रजिस्टर्ड है। इस बख्शीशनामें के आधार पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 खातेदार काश्तकार हैं। वादस्थ भूमि प्रथम सेटलमेन्ट के समय से ही लक्ष्मणपुरी के नाम से दर्ज थी। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का इस भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य में परीक्षित नही हुआ, जिससे साबित होता हो कि उक्त भूमि लक्ष्मणपुरी के पिता के नाम रही हो। सम्वत् 2012 के बाद से लगातार इस भूमि पर लक्ष्मणपुरी का कब्जा काश्त था। इस अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी लक्ष्मणपुरी ही खातेदार कृषक था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को पुश्तैनी मानते हुए वादस्थ भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अपनी अपील के शीर्षक में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लक्ष्मणपुरी का तथाकथित पुत्र सम्बोधित किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाबदावा प्रस्तुत किया है, उसमें लक्ष्मणपुरी का पुत्र माना है। लक्ष्मणपुरी के दो पत्नियां थी। प्रथम पत्नि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 हुए तथा द्वितीय पत्नि से अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 हुए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष र्ष 2011 से 2016 तक दावा चला, इस दौरान अपीलाण्ट ने कभी भी ऐसा दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया, जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1, लक्ष्मणपुरी का पुत्र न हो। उक्त भूमि पूर्व में डोली की भूमि थी, जो निवाई हेतु जोधपुर रियासत द्वारा प्रदान की गई थी। लक्ष्मणपुरी कां अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा राशनकार्ड प्रस्तुत किया, जिसमें उम्र 60 वर्ष अंकित है। इस प्रकार प्रथम सेटलमेन्ट के वक्त लक्ष्मणपुरी नाबालिग थे तथा उनके पिता उमपुरी फौत होने के कारण नाबालिग का नाम रेकर्ड में इन्द्राज किया। इन समस्त तथ्यों की अपीलाण्ट को जानकारी होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 व अपीलाण्ट ने मिलावट करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से उक्त भूमि का बख्शीशनामा तहरीर व तकमील करवाया, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि में उसके हिस्से से महरूम रखा जा सके, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश के जरिये भूरपुरी को उसके हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया है तथा विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें वादस्थ भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर भूरपुरी का कब्जा काश्त एवं मकानात आदि बताए है, जिससे यह साबित होता है कि भूरपुरी अपने

हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। इस प्रकार समस्त तथ्यों का विश्लेषण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सहित रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने वाद प्रस्तुत कर अपने पिता लक्ष्मणपुरी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि में से अपने हक हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित कराने, हिस्से अनुसार विभाजन एवं अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया तथा जवाबदावा प्राप्त कर दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वाद को बहक वादी डिक्री किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उसमें मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि वादस्थ भूमि पर सम्वत् 2009 से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा उमपुरी का कब्जा काश्त था। जिनका स्वर्गवास 2007 में हो चुका था। उसके बाद उमपुरी की पत्नि टीपूदेवी उक्त भूमि पर काबिज काश्त थी। उमपुरी के विधिक वारिशान में लक्ष्मणपुरी, जमना एवं उमपुरी की पत्नि टीपूदेवी थी। प्रथम सेटलमेन्ट के समय भू प्रबन्ध अधिकारीयों द्वारा उमपुरी के विधिक वारिशान की जांच किये बिना लक्ष्मणपुरी के नाम नामान्तरकरण दायर कर दिया, जबकि उस वक्त लक्ष्मणपुरी नाबालिग था। इस स्थिति में उक्त भूमि लक्ष्मणपुरी की स्वअर्जित न होकर पुश्तैनी भूमि थी, जो उमपुरी के फौत होने पर लक्ष्मणपुरी को बतौर वारिश प्राप्त हुई है। अतः पुश्तैनी होने के आधार पर उक्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने हिस्से की खातेदारी घोषित कराने, विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जो जवाबदावा प्रस्तुत किया, उसमें वादी/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 को लक्ष्मणपुरी का पुत्र मानने से इन्कार नही किया है। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 6 तनकीयात कायम की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में बतौर मौखिक साक्ष्य स्वयं भूरपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी, भाखरराम पुत्र कानाजी विश्नाई, गणपतसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत, हीराराम पुत्र सुजाजी विश्नोई तथा फुलाराम पुत्र प्रतापजी माली मुख्य परीक्षण में परीक्षित हुए। समस्त गवाहों ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की। प्रतिवादी की ओर से लक्ष्मणपुरी एवं किस्तूरपुरी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जो जिरह हेतु उपस्थित नही हुए तथा अन्य गवाहों को प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय प्रदान किये जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर प्रतिवादी की शहादत बन्द की गई तथा जैर अपील निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लक्ष्मणपुरी ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया, उसमें उम्र 80 वर्ष दर्शाई है तथा वर्ष 2011 में जो बख्शीशनामा तैयार करवाया है, उसमें उम्र 62 वर्ष बताई है। अधीनस्थ न्यायालयं द्वारा इसका तुलनात्मक अवलोकन करते हुए

... अपील अधिकारी
पाली

सम्वत् 2009 में लक्ष्मणपुरी की आयु लगभग 7–8 वर्ष की मानते हुए उक्त भूमि, जो प्रथम सेटलमेन्ट में लक्ष्मणपुरी के नाम दर्ज हो गई थी, उसे पुश्तैनी मानते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों को दृष्टिग्रत रखते हुए पूर्ण विवेचन के पश्चात जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 61/2011 भूरपुरी बनाम लक्ष्मणपुरी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
कैम्प जालोर